न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. अंजली राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
08/2024	2024/371	25.10.2024	30.10.2024

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी जिला प्रतापगढ़ (राज.) —: प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री राजेश लुहार पिता सत्यनारायण लुहार निवासी दलोट जिला प्रतापगढ़ —: विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत

उपस्थिति :—

1. पैरोकार सरकार रसद
2. श्री सुरेश कुमार जाधव , अधिवक्ता विपक्षी

—: आदेश :— दिनांक 30.10.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16.10.2024 को घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यवसायिक/वाहनों में उपयोग के रोकथाम हेतु ग्राम दलोट स्थित अप्रार्थी श्री राजेश लुहार के आवासीय मकान पर जांच की जाने पर वक्त निरीक्षण प्रार्थी द्वारा मारूित वेन **RJ-03-UA-5435** को रिफलिंग पंप से अवैध रूप से व्यवसायिक वाहन रिफलिंग करते हुए पाया गया।

उक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा 01 गैस सिलेण्डर **S.R.No 287217 H** एवं रिफलिंग पम्प को जप्त किया एवं व्यवसायिक वाहन मारूित वेन **RJ-03-UA-5435** को थानाधिकारी पुलिस थाना सुहागपुरा को सुपुर्द किया। तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा 01 सिलेण्डर की गैस की मात्रा की राशि राजकोष में जमा कराने के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार जादव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **457 CRPC** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा वक्त कार्यवाही जब्तशुदा वाहन की प्रकरण में आगामी आवश्यक्ता नहीं होने से तथा वाहन की समुचित रख रखाव के अभाव में क्षत—विक्षत होने की संभावनाओं के चलते अप्रार्थी का वाहन बतौर अमानत सिपूदर्गी रिलिज किया जावें। अप्रार्थी के वाहन की प्रकरण में आवश्यक्ता होने पर उपलब्ध करा देगा।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में न्यायालय हाजा के पत्र क्रमांक :— सरिश्ता/रीडर/विविध/2024/1040—42 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं प्रभारी थाना अधिकारी सालमगढ़ को तहरीर पत्र जारी कर जब्तशुदा वाहन की

543

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण में आगामी आवश्यक्ता होने नहीं होने की संपुष्टि रिपोर्ट तलव की गई। उक्त क्रम में प्रभारी थाना अधिकारी सालमगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक :– 1738 दिनांक 27.10.2024 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार जब्तशुदा वाहन की थाना सालमगढ़ के किसी भी विचाराधीन प्रकरण में आवश्यक्ता नहीं होना बताया गया। इसी परिपेक्ष्य में जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक :– रसद / 2024 / 506 दिनांक 30.10.2024 के अनुसार भी जब्तशुदा वाहन की प्रकरण में आवश्यक्ता नहीं होना जाहीर किया गया है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम उभयपक्ष सूनी गई दौराने बहस पैरोकार सरकार जिला रसद अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया कि दिनांक 16.10.2024 को घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यवसायिक / वाहनों में उपयोग के रोकथाम हेतु ग्राम दलोट स्थित अप्रार्थी श्री राजेश लुहार के आवासीय मकान पर जांच की जाने पर वक्त निरीक्षण प्रार्थी द्वारा मारूित वेन RJ-03-UA-5435 को रिफलिंग पंप से अवैध रूप से व्यवसायिक वाहन रिफलिंग करते हुए पाया गया। जिसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए उपरोक्तानुसार सामग्री जब्त की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही को संपुष्ट फरमाते हुए अप्रार्थी के यहाँ से सीज 01 गैस सिलेण्डर S.R.No 287217 H एवं रिफलिंग पम्प को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विहित प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में लिये जाने से राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए एवं प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के हवाले से निवेदन किया कि अप्रार्थी को घरेलु गैस सिलेण्डर के इस प्रकार उपयोग उपभोग नहीं किये जा सकने के संबंध में विधिक जानकारी नहीं थी इसलिए अप्रार्थी को शिथिलता का लाभ देते हुए प्रार्थी का आवेदन खारीज करते हुए जब्तशुदा सामग्री को लौटाने का आदेश प्रदान करावें तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाहन रिलिज प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रिलिज आदेश प्रदान करावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन प्रचलित विधियों के तहत् किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16.10.2024 को घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यवसायिक / वाहनों में उपयोग के रोकथाम हेतु ग्राम दलोट स्थित अप्रार्थी श्री राजेश लुहार के आवासीय मकान पर जांच की जाने पर वक्त निरीक्षण प्रार्थी द्वारा मारूित वेन **RJ-03-UA-5435** को रिफलिंग पंप से अवैध रूप से व्यवसायिक वाहन रिफलिंग करते हुए पाया जाना बहस उभयपक्ष से संपुष्ट हुआ है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा वाहन की वर्तमान में आगामी आवश्यक्ता नहीं होने से प्रचलित विधियों के अनुसार अप्रार्थी की जब्तशुदा मारूती वेन को बतौर जमानत मुचलका जामीन श्री संताष कुमार पुत्र वरदीचन्द्र मीणा निवासी मीरावता तहसील दलोट द्वारा राशि 200000 लाख रूपये बमालियत (वाहन संख्या **MP-44 BC 1009 Tempo TRax**) आधार पर रिलिज करने में काई आपत्ति दर्शित नहीं होती है।

अत : प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गई कार्यवाही को संपुष्ट किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 01 गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रकरण में जब्त वाहन संख्या **RJ-03-UA-5435** को बतौर जमानत मुचलका राशि पर प्रकरण में आवश्यक्ता होने पर अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा सहशर्त रिलिज आदेश पृथक से जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(डॉ अंजली राजौरिया)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़